

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION No. 509 of 2025

IN THE MATTER OF:

Amit Gupta

... **APPLICANT**

Versus

Noida Authority and Ors.

... **RESPONDENTS**

INDEX

Sr No.	Particulars	Page No.
1.	Synopsis.	1 - 3
2.	Details of event from Oct to Dec 2025	4-6
3	Interim Prayer and Affidavit	7-9
4.	Annexure A – 1 (Colly.) Copies of RTI response, IGRS response, news cutting and letter from CPCB, CAQM, UPPCB.	10-23
5.	Annexure A – 2 (Colly.) Photograph of various sectors.	24-31

FILED BY:

Amit Gupta

Amit Gupta
Applicant

Q 1404 Prateek Wisteria,
Sector 77 Noida UP 201301.
amit.gupta9826@gmail.com
(M) +91 9999942930

PLACE: NOIDA
DATE: 21.12.2025

Synopsis

That present **OA 509 of 2025** which was heard on 10th Oct 2025 relates to the open violations of various orders from CAQM, CPCB, Hon NGT on Dust, Construction pollution norms, Environment Protection act, by causing large scale Dust pollution, damages to main roads, tiles and green area, trees etc. during various Cable laying, Pipe repair and new work by Noida Authority, PVVNL, Optical Fiber work (OFC) by private vendor, IGL gas line work and various other construction activities across Noida. The Hon NGT has issued notice on 10th Oct 2025 to Respondent No 1 to 8 and as per para 3 of that order the respondents has been directed to file their reply at least one week before the next date of hearing which is 24th Dec 2025. However as of today no response has been submitted by them. Even after Hon NGT notice dated 10th Oct 2025, there has been no visible change in the functioning of Noida Authority or its various departments, PVVNL, various optical cable vendors and they are openly violating all the Environmental, Dust & construction norms. This disregard for regulatory directives underscores a **serious lapse in enforcement and accountability**, as documented in the following sections along with the **latest photographs (Annexure A – 2 (Colly.))**.

1. That during the ongoing winter season, **Noida has consistently ranked among the top five most polluted cities in India**. On several occasions, it has even been the **most polluted city nationwide**. On **18–19, 20 December 2025**: Noida topped the pollution charts. On **19, 20 December**, it was the **only city in India** with AQI in the *Severe* category, recording **410,401 respectively**.
2. That Nov 2025 was the 2nd most polluted in the last 5 years with 5 days having AQI above 400 which is Severe category (highest was 425 on 11th Nov), December 2025 has been one of the worst with 5 days (till 20th Dec 2025) having AQI above 400 till 455. **The full AQI data for Oct Nov Dec 2025 has been given below in the tabular form**. The AQI data clearly demonstrate that **Noida is facing severe and persistent air pollution**. Despite this alarming situation, **pollution control norms continue to be openly violated**.

The Noida Authority itself, along with PVVL and other entities, are actively contributing to the crisis by **damaging roads for cable work, leaving them unrepaired, and generating large amounts of dust pollution.**

Month	AQI 0-200,DAYS	AQI 200-300,DAYS	AQI 300-400,DAYS	AQI 400-500,DAYS
OCT	12	10	9	
Sector 116	8	9	13	0
NOV	0	4	21	5
Sector 116	0	4	14	11
DEC	0	2	13	5
Sector 116	0	2	12	6

3. That it's also important to highlight that Noida Sector 116 Air Monitoring Station (AMS) which covers sectors 74 to 79 (commonly referred as 7X sectors), along with 80,81,112,115,116,117,120 is most polluted area not only in DELHI NCR but across India. In December 2025, the Sector 116 AMS station recorded severe dust pollution, with AQI levels peaking at 499 on 13-14 December. On 13 December at 10:00 PM, the AMS reported: (Attached AS ANNEXURE A-1 (Colly.) PM-10,11)
- PM2.5 concentration:** 614 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (≈ 15 times the national standard)
- PM10 concentration:** 824 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (≈ 14 times the national standard)

4. That the primary reasons for this severe pollution at Noida Sec 116 AMS (other station as well) are road damaged by Noida Authority Jal Dep just outside 116 AMS since Sep 2025, other damaged roads just behind it, open violations of Dust & Construction pollutions by

various builders in that area and open burning of the garbage. In fact, the numerous roads, service roads, footpaths across Sector 76,77,116 that were damaged between **July and November 2025** for electricity cable, water pipeline, and OFC cable work have **still not been repaired or restored**. Example Sector 76 main road footpath was damaged in Aug, Sep 2025 and not repaired as of 21/12/2025 (**latest photos are attached as Annexure A-2 (Colly.)**). P26,32

5. That the **Dust Free zone/green area at Noida Sec 76,77,116,115 which was damaged for PVVNL work in July Aug 2025 and for other works are still not restored**, neither the grass is planted, nor proper maintenance has been done. The dust free zone/green that once had lush grass reducing roadside dust are now barren, filled with dust. This transformation highlights the negligence and lack of accountability in maintaining essential green buffers that play a critical role in controlling particulate pollution (**latest photos are attached as Annexure A-2 (Colly.)**). P33,31 This prolonged neglect has resulted in **large-scale dust pollution**, further aggravating the already severe air quality crisis in Noida.

6. That in response to applicant RTI's, CPCB has confirmed that in year **2025 they have received 730 complaints** for Noida pollution issue via Sameer App and Twitter out of which **265 (38%) are still pending**. In a separate RTI, CPCB has confirmed they have **received 220 complaints from Applicant in 2025** regarding Noida Pollution and 58 complaints (around 25%) are still pending (both RTI **attached as Annexure A-1(Colly.)**). P36,37,38 It clearly shows that large scale pollution related violations and issues.

The Applicant is therefore constrained to approach this Hon'ble Tribunal with further details of the events which took place from Oct to Dec 2025 (after the last hearing) to seek urgent redressal in respect proper implementation of Dust Construction pollution norms and strong action against the violators.

Details of event from Oct to Dec 2025

Sr No	Date	Area/Sector	Issue	Agency
1	24/10/2025	Sec 76,20,37-36 main road	Sec 37-36 main road damaged for cable work by PVVNL left unrepaired, same at 76,50,20 and issue were raised via email but no resolution (Pic, Letter attached as Annexure A – 1 (Colly.)). P 24, 26, 32/33	Noida Authority/ PVVNL
2	25/10/2025	Sec 74-116	Road damaged by Noida Authority Jal Dep and left unrepaired with heap of Dust left on the road. Rs 50000 penalty imposed by UPPCB (Letter attached as Annexure A – 1 (Colly.)) P 13	Noida Authority
3	25/10/2025	Sec 74-117	Road damaged by Noida Authority Jal Dep for water pipe work and left unrepaired with heap of Dust left on the road. Rs 50000 penalty imposed by UPPCB (Letter attached as Annexure A – 1 (Colly.)) P 13, 32, 33	Noida Authority
4	02/11/2025	Sec 51-39 road	The services road was damaged for Telecom chamber work and left unrepaired with debris on the road in GRAP 3. (Letter attached as Annexure A – 1 (Colly.)) P 25	Private vendor
5	4/11/2025	Sector 1	Roads were damaged for power link work, in peak Nov pollution and area not restored. Fined Rs 50000 by UPPCB (Pic, Letter attached as Annexure A – 1, 2 (Colly.)) P 14, 15	PVVNL
6	14/11/2025	Sector 49 main road	Road damaged by Noida Authority Jal dep for new pipe work and debris, loose soil left	Noida Authority

			on the road causing dust pollution (Pic attached as Annexure A -2 (Colly.)) P27	
7	19/11/2025	Sec 58,59	Roads were damaged for power link work, in peak Nov pollution and area not restored. (Pic attached as Annexure A -2 (Colly.)) P24	PVVNL/ Noida Authority
8	19/11/2025	Sec 78	Noida authority not removing dust from road. Rs 30000 penalty by UPPCB. (Letter attached as Annexure A - 1 (Colly.)) P12	Noida Authority
9	21/11/2025	121,70	Noida authority Jal dep damaged service road for pipe repair work and filled full area with Dust. Rs 30000 penalty by UPPCB. (PIC, Letter attached as Annexure A - 1,2 (Colly.)) P16, 27	Noida Authority
10	21/11/2025	Sec 142,144	Noida Authority were doing drain wall work, caused severe dust pollution in Grap 3. Rs 30000 penalty by UPPCB. (Letter attached as Annexure A - 1 (Colly.)) P18	Noida Authority
11	22/11/2025	Sec 110	Sector 110 market road was damaged by PVVNL for cable work and left unrepaired with dust on the road. (Pic attached as Annexure A -2 (Colly.)) P25	PVVNL
12	07/12/2025	Sec 36 ,32 road	Service and main road damaged for repair work and area not restored, dust not removed, no proper repair yet. (Pic attached as Annexure A - 2 (Colly.)) P28	Noida Authority
13	11/12/2025	Sec 50 STP road	Sec 50 road was damaged by Jal dep in June to fix the pipe leakage and even after 6 months road is still not repaired, causing sever dust pollution (Pics attached as Annexure A -2 (Colly.)) P29	Noida Authority

14	13/12/2025	Sec 74-77 road	The main road damaged for telecom chamber, left debris loose soil on main road in GRAP 4 restrictions. (Pics attached as Annexure A -2 (Colly.)) P 28	Telecom vendor
15	14/12/2025	Sec 45	Sector 45 road near Amarpali was damaged by Jal Department without barricading and causing Dust pollution when AQI was around. (Pic attached as Annexure A -2 (Colly.)) P 34	Noida Authority
16	18/12/2025	Sec 46 B block	Noida authority Work circle did Tiles work in GRAP 4, causing severe dust pollution by violating all Norms. (Pics attached as Annexure A -2 (Colly.)) P 25	Noida Authority
17	17/12/2025	Sec 74-117	The new road was damaged by Jal Dep for chamber work and left debris etc on the road. (Pics attached as Annexure A - 2 (Colly.)) P	Noida Authority
18	15/12/2025	Sec 56-62 road	Noida Authority Jal dep doing road repair by dumping all material on the road, uncovered causing severe dust pollution in AQI 450 (Pic,news attached as Annexure A - 2 (Colly.)) P 34	Noida Authority
19	01/12/2025	Sec 51	The road oppose Cloudnine Hospital Sec 51 was damaged by Noida Authority Jal Dep for sewerage work and road still not repaired properly (Pics attached as Annexure A -2 (Colly.)) P 34	Noida Authority
20	21/12/2025	Sector 50	The service road at Noida sec 50 behind mother dairy is totally damaged due to sewerage work. (Pics attached as Annexure A - 2 (Colly.)) P 31	Noida Authority

That above mentioned (20) issues are just handful example of Noida Authority, its various departments, PVVNL working in the peak pollution season when AQI is above 400. The Noida authority is the Nodal agency to control the pollution in Noida but it's the biggest source of pollution specially dust pollution.

That in response to my RTI (dated 24 Nov 2025, attached as Annexure A – 1 (Colly.))Gautam Budh Nagar fire department has informed that during the period January 2024 to 31st October 2025 (22 months), approximately 1364 incidents of garbage burning have been reported from Noida, Greater Noida. 7X sectors are HotSpot of regular Garbage burning causing high pollution. P 38

That Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) Noida office in response to my RTI (attached as Annexure A – 1 (Colly.)) has informed that they have imposed Rs 28 crores (Rs 280,024,375) penalty from 2017 to 2025 but has recovered just Rs 1.06 cr which is hardly 3% of the total amount. In response to 2nd RTI (attached as Annexure A – 1 (Colly.)) they have confirmed that Rs 3 crores fine has been imposed across the Noida, in 160 cases but no amount has been recovered. These raises serious questions about the effectiveness of the fine when amount is not getting recovered.

INTERIM PRAYER

- I. It is most humbly submitted that this Hon'ble Tribunal may kindly pass an order/ direction to the Respondents for:
 - I. To immediately recover the penalty imposed by UPPCB Noida, from the defaulters and use it for pollution reduction at Noida. Noida Authority also shares the details of EC imposed and collected by them.
 - II. The Hon Tribunal, to take strong action including imposing EC on Noida Authority, PVVNL for continuously and openly violating Construction and Demolition (C&D) Waste Management rules 2016, GRAP rules causing large scale Dust pollution.

- III. To immediately restore the Dust Free/Green area of Sector 77, damaged Footpath of Sec 76, 77, 116 and no further digging should be allowed without proper Duct area plan.
- IV. Direct CEO Noida Authority to take effective steps to control the Garbage burning issue across Noida especially at 7X sectors as its impacting the AQI.
- V. Direct CEO Noida Authority, DM Gautam Budh Nagar to establish a proper, effective Environment cell to ensure proper resolution of the complaints in a time bound manner as the current model is not effective. Despite repeated complaints, Emails, IGRS request no proper response is given or action is taken.
- VI. Noida authority has received Rs 57 crores from the CPCB NCAP fund and only 9 crores has been spent till date, rest of the amount should be properly used for the improvement of Air pollution and should not be used for any other work. The proper details should be displayed on the site as currently they are not doing the same.
- VII. Pass any other interim orders as the Hon'ble Tribunal deems fit in the interests of justice for which the Applicant shall remain ever grateful



APPLICANT

FILED BY:

Amit Gupta

Q 1404 Prateek Wisteria
Sector 77 Noida 201301 UP
amit.gupta9826@gmail.com
(M) +91 9999942930

PLACE : NOIDA
DATE : 21.12.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 509 of 2025

IN THE MATTER OF:

Amit Gupta

....APPLICANT

VERSUS

Noida Authority & ORS.

....RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT

I, Amit Gupta, aged about 41 years, Son of Shri Inder Kumar Q1404 Prateek Wisteria Sector 77 Noida, Uttar Pradesh- 201301, do hereby state on solemn affirmation as under: -

1. That I am the plaintiff in the above said case and am well conversant with the facts and circumstances of the present case and hence, competent to swear this affidavit.
2. That the contents of the accompanying application under the section 14 read with section 15 and 18(1) of the National Green Tribunal Act, 2010 have been drafted by me, the contents of which may be read as part and parcel of this affidavit and are not being reproduced herein for the sake of brevity knowledge and belief and I believe the same to be true.

Solemnly affirmed on this 21st day of December 2025 at Noida, U.P.


DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Noida, U.P. on this 21st day of December, 2025 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT



ATTESTED
V. Singh
VIRENDRA SINGH
ADVOCATE (NOTARY)
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR
21 DEC 2025

ANNEXURE A1 (Call.) 113
 NOIDA SECTOR 113
 OCT 2025 READING MOST POLLUTED
 SINCE 2018

10

AQI 200-300
 OCT 25 10 DAYS
 OCT 24 2 DAYS
 OCT 23 2 DAYS
 OCT 22 10 DAYS

AQI Calendar (Updated at 4:00 PM daily)

October 2025						
5 OZONE 227	6 PM10 138	7 NO2 79	8 OZONE 188	9 PM10 110	10 OZONE 215	11 PM10 220
12 PM10 171	13 OZONE 209	14 PM10 265	15 PM10 302	16 PM10 323	17 PM10 278	18 PM10 305
19 PM10 302	20 PM10 306	21 PM10 331	22 PM10 308	23 PM25 277	24 PM25 263	25 PM10 370
26 PM10 302	27 PM10 306	28 PM10 331	29 N/A	30 N/A	31 N/A	

AQI Calendar (Updated at 4:00 PM daily)

October 2024						
1 PM10 138	2 PM10 206	3 PM10 178	4 PM10 302	5 PM10 216	6 PM10 160	7 PM10 130
8 PM25 183	9 PM25 166	10 PM10 126	11 PM10 133	12 PM10 141	13 PM10 254	14 PM10 308
15 PM10 148	16 PM25 141	17 PM25 253	18 PM25 253	19 PM25 255	20 PM25 225	21 PM25 266
22 PM25 275	23 PM10 307	24 PM10 110	25 PM25 216	26 PM25 186	27 PM25 228	28 PM25 229
29 PM10 300	30 PM10 300	31 PM10 300				

AQI Calendar (Updated at 4:00 PM daily)

October 2023						
1 PM10 159	2 PM10 165	3 PM10 152	4 PM10 183	5 PM10 181	6 PM25 220	7 PM10 276
8 PM10 144	9 PM25 146	10 PM25 164	11 PM25 185	12 PM25 234	13 PM25 264	14 PM25 246
15 PM10 235	16 PM10 189	17 PM10 66	18 PM25 139	19 PM10 128	20 PM25 203	21 PM25 285
22 PM10 235	23 PM25 192	24 PM10 152	25 PM25 191	26 PM25 194	27 PM25 221	28 PM10 280
29 PM10 277	30 PM10 271	31 PM10 288				

AQI Calendar (Updated at 4:00 PM daily)

October 2022						
1 PM25 211	2 PM10 195	3 PM10 135	4 PM10 154	5 PM25 249	6 PM10 49	7 PM10 26
8 PM10 21	9 OZONE 22	10 OZONE 34	11 OZONE 48	12 PM10 212	13 PM10 142	14 PM10 171
15 PM25 203	16 PM10 285	17 PM10 286	18 PM25 261	19 PM25 328	20 PM10 292	21 PM10 305
22 PM10 317	23 PM25 280	24 PM10 308	25 PM10 304	26 PM25 299	27 PM10 304	28 PM10 308
29 PM10 317	30 PM10 317	31 PM10 317				

ANNEXURE A-1 (Contd.)
 NOIDA SEC 116 AMS READING VIA SAMARA APP (CPCB)
 14 DEC 2025 7 AM READING 499, HIGHEST AIR QUALITY

(11)

114



AQI Calendar (Updated at 4:00 PM daily)

Failed to fetch latest calendar data. Please retry again.

Retry

Station AQI Data

Active Stations : 4 / 4

(Tap on a station to see more info)

Severe
499
 Sector-116, Noida - UPPCB
 Last updated: 14 Dec 2025 07:05 AM

Sector - 125, Noida - UPPCB **472**

Sector - 62, Noida - IMD **427**

Sector-1, Noida - UPPCB **490**

Sector-116, Noida - UPPCB **499**



Health Impact

Air quality is severe which affects healthy people and seriously impacts those with existing diseases.

10:52 PM

Major Pollutant Trend (last 24 hours)





RTI
ANNEXURE A-1 (G.M.)
115
CPCB RTI
ON TOTAL COMPLAINTS
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार.
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA.

02-12-2025

File No. PI-11/3/2021-IT-HO-CPCB-HO/8096

02-12-2025

To,
Sh. Amit Gupta,
Noida, Noida,
Pin:201301, UP

Sub: Information under RTI Act.2005-reg

Ref: Your online RTI Application received vide Registration No. CPCBD/R/E/25/01286/2.

Sir,

In reference to above mentioned RTI Application, the available information w.r.t. Point 1, 2 and 5 available with this division is given below:

For Point 1: - Total number of complaints received from Noida in the year 2025 via Sameer App: 219. Complaints received and forwarded to concerned department for taking necessary action at their end.

For Point 2: - Total number of complaints received from Noida in the year 2025 via X (Formerly Twitter): 511. Complaints received and forwarded to concerned department for taking necessary action at their end.

For Point 5: - 1. total no of complaints resolved (received via Sameer App): 145

2. total no of complaints resolved (received via X (formerly Twitter): 320

With reference to other queries of the RTI application, the application has already been transferred to the concerned CPIOs for providing information

The Appellate Authority in this case is Member Secretary, CPCB, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

Yours faithfully,

(P Jagān)

CPIO, IT Division

‘परिवेश भवन’ पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032.

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032.

दूरभाष /Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website: www.cpcb.nic.in

RTI

ANNEXURE A-1 (Copy)

PRINT(6)

CPCB RESPONSE TO RTI
FOR TOTAL COMPLAINT SUBMITTED
BY APPLICANT IN 2025 FOR
NOIDA AIR POLLUTION

(12A)



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA.

File No. PI-11/3/2021-IT-HO-CPCB-HO/ 8095

02-12-2025

To,
Sh. Amit Gupta,
Noida, Noida,
Pin:201301, UP

Sub: Information under RTI Act.2005-reg
Ref: Your online RTI Application received vide Registration No. CPCBD/R/E/25/01287/2.

Sir,

In reference to above mentioned RTI Application, the available information w.r.t. Point 1, 2 and 5 available with this division is given below:

For Point 1: - Total number of complaints received from Noida by AMIT GUPTA in the year 2025 via Sameer App: 41. Complaints received and forwarded to concerned department for taking necessary action at their end.

For Point 2: - Total number of complaints received from Noida by AMIT GUPTA in the year 2025 via X (Formerly Twitter): 179. Complaints received and forwarded to concerned department for taking necessary action at their end.

For Point 5: - 1. total no of complaints resolved (received via Sameer App): 29

2. total no of complaints resolved (received via X(formerly Twitter): 133

With reference to other queries of the RTI application, the application has already been transferred to the concerned CPIOs for providing information.

The Appellate Authority in this case is Member Secretary, CPCB, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032

Yours faithfully,

(P Jagan)
CPIO, IT Division



पत्रांक:- 886/सा0प0-12/25

दिनांक:- 12-11-2025

सेवा में,

Shri Amit Gupta,
Noida Pin-201301,

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने ऑनलाइन आर0टी0आई0 आवेदन पंजीकृत संख्या DSPCB/R/2025/60483 जो कि दिनांक 26.10.2025 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की वर्णित धाराओं एवं कार्यालय अभिलेखानुसार वांछित सूचना निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार मेल के माध्यम से प्राप्त आपकी शिकायतों की अनुपालन में इस कार्यालय की टीम द्वारा सेक्टर-177 से सेक्टर-116 नोएडा की रोड का निरीक्षण दिनांक 25.10.2025 को किया गया। पायी गयी समस्या के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण को कार्यालय के पत्र सं0-774/सा0पत्रा-228/26 दिनांक 27.10.2025 द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने व आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार टीम द्वारा दिनांक 25.10.2025 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त क्षेत्र का निरीक्षण श्री चन्द्रशेखर, सहा0पर्या0अभि0, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार प्राधिकरण की जिम्मेदार कार्यदायी संस्था के विरुद्ध रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोएडा प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सूचना नोएडा प्राधिकरण से प्राप्त नहीं।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार सूचना धारित नहीं।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है-

प्रथम अपीलीय अधिकारी, ऋतेश कुमार तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर है।

भवदीय,

(किशन सिंह)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:- प्रथम अपीलीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA



पत्रांक:- 1097/सा0प्र0-12/25

दिनांक:- 27-11-2025

सेवा में,

Shri Amit Gupta,
Noida Pin-201301,

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने ऑनलाइन आर0टी0आई0 आवेदन पंजीकृत संख्या DSPCB/R/2025/60502 जो कि दिनांक 04.11.2025 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की वर्णित धाराओं एवं कार्यालय अभिलेखानुसार वांछित सूचना निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार आपकी शिकायत प्राप्त होने के सम्बन्ध में सूचना कार्यालय अभिलेखों में धारित नहीं है। अग्रेतर अवगत कराना है कि सेक्टर 01 में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा केबिल बिछाये जाने के कार्य से हो रहे डस्ट प्रदूषण के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या 736/सा0पत्रचा0-194/2025 दिनांक 16.10.2025 द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध रू0 50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या नोएडा प्राधिकरण को प्रेषित की गयी, प्रेषित पत्र और आख्या की प्रति संलग्न है।
2. सूचना बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।
3. सूचना बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।
4. सूचना बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।
5. सूचना बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।
6. सूचना बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।
7. नोएडा प्राधिकरण से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है-

प्रथम अपीलीय अधिकारी, ऋतेश कुमार तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर है।

भवदीय,

(किशन सिंह)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-प्रथम अपीलीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी

पत्रांक: 734/सां.पं. - 194/25

दिनांक:- 16-10-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (S.K.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-16.10.2025 को 33/11 के0वी0 उप केन्द्र सेक्टर-1, गौतमबुद्ध नगर सामने वाली मेन रोड पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया। निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेधीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एवं आपसे अनुरोध है कि आगामी शीत ऋतु 2025-26 में लागू ग्रैप (GRAP) के अनुपालन में रोड की मरम्मत कराने हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तियारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (PVVNL) नोएडा, को पर्यावरण नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

LA



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA



पत्रांक: 1050/वा.पं-194/24
सेवा में,

दिनांक:- 21-11-2024

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर-6, नोएडा

संदर्भ:- आईएमएस0 संदर्भ सं0 670354775 के सम्बंध में।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्तमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आईएमएस0 पोर्टल संदर्भ सं0 670354775 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा Noida, Sector 70 to 121 Service Road के किनारे नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा गंगा जल पाइपलाइन रिपेरिंग के कार्य से उत्पन्न मिट्टी से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बंध में शिकायत की गई है। तत्क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक-20.11.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय Noida, Sector 70 to 121 Service Road पर नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा गंगा जल पाइपलाइन रिपेरिंग के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को खुले में रोड के किनारे खुला छोड़ दिया गया है। जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन की समस्या तथा परिवेष्टीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वामाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार ₹0 30,000/- (रु0 तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है एवं आपसे अनुरोध है कि आगामी शीत ऋतु 2025-26 में लागू ग्रैप (GRAP) के अनुपालन में रोड की मरम्मत कराने एवं मिट्टी को हटाए जाने निरंतर मैकेनिकल रोड स्वीमिंग मशीन एवं पानी के छिड़काव हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

महोदय,
(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4074662

मुख्यालय : TC-12V, विनोबि चण्ड, गौरी नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.gov.in, e-mail : rno@uppcb.in

e:\system data\grp 2025-26\penalty and notice\new letter and report\penalty copy.docx



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1012/सा 40-194/4

दिनांक: 19-11-2025

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-18.11.2025 को नियर मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-78, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर Lat. 28.556239 Long. 77.384756 का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय रोड के दोनो तरफ डस्ट एकत्रित पायी गयी। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उक्त रोड पर मकैनिकल स्विपिंग का कार्य नहीं किया जाता है, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से आस-पास के क्षेत्र में परिवेशीय वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वामाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी



पत्रांक:- 1155/एनएडए-12/4

दिनांक:- 02-12-2025

सेवा में,

Shri Amit Gupta,
Noida Pin-201301,

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने ऑनलाइन आर0टी0आई0 आवेदन पंजीकृत संख्या DSPCB/R/2025/60537 जो कि दिनांक 11.11.2025 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की वर्णित धाराओं एवं कार्यालय अभिलेखानुसार वांछित सूचना निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार प्राप्त आपकी शिकायत की अनुपालन में इस कार्यालय की टीम द्वारा सेक्टर-142 मेट्रो लाइन के नीचे का निरीक्षण दिनांक 26.11.2025 को किया गया। पायी गयी समस्या के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण को कार्यालय के पत्र सं0-1120/सा0पत्रा-194/25 दिनांक 28.11.2025 द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने व आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त क्षेत्र का निरीक्षण श्री किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0 द्वारा निरीक्षण किया गया।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार टीम द्वारा दिनांक 26.11.2025 को उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार प्राधिकरण की जिम्मेदार कार्यदायी संस्था के विरुद्ध रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोएडा प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न है।
6. सूचना बिन्दु संख्या 01 के अनुसार, प्रति संलग्न।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है-

प्रथम अपीलीय अधिकारी, ऋतेश कुमार तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर है।

भवदीय,

(किशन सिंह)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-प्रथम अपीलीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA



पत्रांक:- 885/सा०प०-12/25

दिनांक:- 12-11-2025

सेवा में,

Shri Amit Gupta,
Noida Pin-201301,

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने ऑनलाइन आर०टी०आई० आवेदन पंजीकृत संख्या DSPCB/R/2025/60481 जो कि दिनांक 26.10.2025 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की वर्णित धाराओं एवं कार्यालय अभिलेखानुसार वांछित सूचना निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार कन्स्ट्रक्शन एवं डस्ट सम्बन्धित प्रकरणों में वर्ष 2000 से 2025 तक अधिरोपित किये गये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का विवरण वर्षवार संलग्न है। कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2017 से 2025 तक का विवरण उपलब्ध है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष 2024 से वर्ष 2025 तक वर्तमान तक इस कार्यालय में प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का विवरण संलग्न है, उक्त से पूर्व का विवरण कार्यालय अभिलेखों में संलग्न है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रेषित आख्या के अनुसार वर्तमान तक कुल रू० 26,94,42,875.00 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा नहीं है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति इस कार्यालय स्तर पर कोई प्लान नहीं है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सूचना धारित नहीं।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है-

प्रथम अपीलीय अधिकारी, ऋतेश कुमार तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर है।

भवदीय,


12/11/25
(किशन सिंह)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:- प्रथम अपीलीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी

PTI ANNEXURE A-1 (Collv.)
UPPCB REPLY DATA OF FINE FROM
2017-2025 (Nck)

20

(Regional Office, U.P. Pollution, Control Board, Noida)			
Detail of Penalty - Year- 2017 To 2025			
S.No	Year	No Of Cases	Penalty Rs.
1	2017	33	3,765,000.00
2	2018	336	17,080,000.00
3	2019	390	20,965,000.00
4	2020	189	11,555,000.00
5	2021	315	16,720,000.00
6	2022	189	15,502,000.00
7	2023	176	43,567,000.00
8	2024	413	90,426,875.00
9	2025	120	60,443,500.00
	Total-	2161	280,024,375.00



पत्रांक:- 1262/सं050-12/25

दिनांक:- 09-12-2025

सेवा में,

Shri Amit Gupta,
Noida Pin-201301,

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने ऑनलाइन आर0टी0आई0 आवेदन पंजीकृत संख्या DSPCB/R/2025/60540 जो कि दिनांक 11.11.2025 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आप द्वारा सूचना चाही गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की वर्णित धाराओं एवं कार्यालय अभिलेखानुसार वांछित सूचना निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार नवम्बर-2025 में लगभग 250 निरीक्षण किये गये, जिसमें से 146 डिफाल्टर पाये गये।
2. सूचना बिन्दु सं0 01 एक के अनुसार।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार नवम्बर-2025 में लगभग 250 निरीक्षण किये गये, जिसमें से 146 डिफाल्टर पाये गये, जिनके विरुद्ध कुल रू0 3,00,55,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या नोएडा प्राधिकरण को प्रेषित की गयी है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने व उक्त की वसूली के सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
5. ए0क्यू0आई0 डाटा के अनुसार नवम्बर 2025 में ए0क्यू0आई0 Very Poor, Sever श्रेणी में अधिकतर रहा है तथा उक्त के मुख्य Pollutants पी0एम0-2.5 एवं पी0एम0-10 है। पी0एम0 2.5 का उत्सर्जन का मुख्य कारक डीजल वाहन, डी0जी0 सेट, अपशिष्ट बर्निंग एवं इण्डस्ट्रीयल उत्सर्जन है तथा पी0एम0 10 का मुख्य कारक डस्ट उत्सर्जन है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है-

प्रथम अपीलीय अधिकारी, ऋतेश कुमार तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर है।

भवदीय,

(किशन सिंह)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:- प्रथम अपीलीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार.
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA.

स्पीड पोस्ट

दिनांक : 03.12.2025

PI-11/67/2021-AQM-HO-CPCB-HO

सेवा में,
श्री अमित गुप्ता
नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

विषय: शिकायत (पंजीकरण संख्या MOEAF/E/2025/0004396 और MOEAF/E/2025/0004395)
दिनांक 11/11/2025-के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने इस पर ध्यान दिया है और वायु प्रदूषण के संबंध में आपकी चिंता की सराहना करता है। हमने आपकी वायु प्रदूषण के संबंध में आपकी बातें नोट कर ली हैं और आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार प्रदूषण नियन्त्रण के लिए अग्रसित है।

भारत सरकार ने देशभर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Program (एन.सी.ए.पी.)) शुरू किया है। कुल 130 नॉन-एटेनमेंट शहरों की पहचान, राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक (National Ambient Air Quality Standards) से अधिक परिवेशीय वायु गुणवत्ता स्तर के आधार पर की गई है जिसमें नोएडा भी शामिल है।

एनसीएपी का लक्ष्य 2019-20 के PM10 आधार स्तर से 2025-26 तक, PM10 के स्तर में 40% तक कमी लाने या राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों (60 µg/m3) को प्राप्त करना निर्धारित किया गया है।

नोएडा सहित 130 नॉन-एटेनमेंट शहरों में कार्यान्वयन के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं और इन योजनाएँ को सुचारु रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। नोएडा के स्वच्छ वायु City Action Plan वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोमास फसल/कचरा/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने, लैंडफिल, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन, आदि विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए City specific लघु/ मध्यम/ दीर्घावधि कार्यों पर केंद्रित है।

नोएडा का City Action Plan <https://cpcb.nic.in/Actionplan/Noida.pdf> पर उपलब्ध है।

एनसीएपी के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से नोएडा को 55.70 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 8.95 करोड़ रुपये (नोएडा अथॉरिटी द्वारा) शहर की कार्य योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

यह भी पाया गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में PM10 के स्तर में 32% की कमी देखी गई है।

इसके अतिरिक्त, आपकी लोक शिकायत (प्रति संलग्न) को तत्काल कार्यवाई हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) को स्थानांतरित किया जा रहा है।

वैज्ञानिक 'ख'
वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रभाग

संलग्न : उपरोक्त- अनुसार

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032.

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032.

दूरभाष /Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website: www.cpcb.nic.in



पत्रांक:- 888/सं.प.ब. -12/24

दिनांक:- 12-11-2024

सेवा में,

Shri Amit Gupta,
Noida Pin-201301,

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने ऑनलाइन आर0टी0आई0 आवेदन पंजीकृत संख्या DSPCB/R/2025/60482 जो कि दिनांक 26.10.2025 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की वर्णित धाराओं एवं कार्यालय अभिलेखानुसार वांछित सूचना निम्नवत् है-

1. कार्यालय अभिलेखानुसार कन्स्ट्रक्शन एवं डस्ट सम्बन्धित प्रकरणों में जनवरी, 2025 से वर्तमान तक कुल रू0 6,04,43,500/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। विवरण माहवार संलग्न है।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार कन्स्ट्रक्शन एवं डस्ट सम्बन्धित प्रकरणों में जनवरी, 2025 से वर्तमान तक कुल रू0 64,47,500/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। विवरण माहवार संलग्न है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार कन्स्ट्रक्शन एवं डस्ट सम्बन्धित प्रकरणों में जनवरी 2025 से वर्तमान तक कुल रू0 5,40,02,000/- जमा होने की सूचना इस कार्यालय में नहीं है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सूचना धारित नहीं।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है-

प्रथम अपीलीय अधिकारी, ऋतेश कुमार तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर है।

भवदीय,

(किशन सिंह)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी



प्रतिलिपि:- प्रथम अपीलीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक पर्यावरण अभियन्ता/
जन सूचना अधिकारी

ANNEXURE A-2 (Colly.)
POINT (1)

128 ROAD DAMAGED BY PULNL
POINT (1)
SEC 59-58 ROAD DAMAGED BY PULNL POINT (7)



(24)



ANNEXURE A-2 (Copy)

129



SFC LGDUST ISSUE POINT (16) (25)
SFC SI-39 ROAD DAMAGED (4)
BY VENDOR
SFC 110 ROAD DAMAGED BY PVVNL (11)



ANNEXURE A-2
(COPY)

SEC 76 FOOTPATH DAMAGED
BY P 130 IN SEP, STILL NOT
RESTORED POINT (1)

26




ANNEXURE A 2 (Collyer) POINT NO (9)
SFC 70-121 IS DAMAGED BY JAL DEP.
POINT NO (06) - SFC 44 ROAD DAMAGE BY JAL DEP

(27)

131


SECTION 49 ↓

11/11/2025 10:27 am



ANNEXURE A-2 POINT (174) DAMAGED BY TELSCOM
 (Coll.) → 88077-7132 VERMA IN 14/12/25




(28)



POINT (12) SECTOR 36-32 ROAD DAMAGED FOR CABLE AND POORLY REPAIRED FULL DUST

ANNEXURE A-2 (Copy) PLOT NO (13) (29)
SEC 50 - STP ROAD DAMAGED BY JAL
DPP STILL NOT REPAIRED

133




ANNEXURE A-2 (Coll.) POINT (2/3)
 SEC 120/117 ROAD DAMAGED BY
 JAL KAUSHAUSHA DUST POLLUTION IN NW DEL


134



25-Oct-2025 2:01:09 pm
 262° W
 Sector 120
 Noida
 Meerut Division
 Uttar Pradesh
 Altitude: 154.8msnm
 Speed: 0.0km/h



25-Oct-2025 1:59:45 pm
 259° W
 Sector 119
 Noida
 Meerut Division
 Uttar Pradesh
 Altitude: 158.9msnm
 Speed: 0.0km/h



25-Oct-2025 1:59:17 pm
 72° E
 Sector 120
 Noida
 Meerut Division
 Uttar Pradesh
 Altitude: 158.9msnm
 Speed: 2.6km/h




POINT (2/3) RS 50,000 FINE IMPOSED BY UPPCB.

ANNEXURE A-2 (only) Sector 77 Dust Free (3)
POINT (1) 135 NE DAMAGED IN AUG-88P
STILL NOT RESTORED



ANNEXURE A-2 (Colly.) AREA/ROAD OUTSIDE POINT (1) (32)
136
SOME DAMAGES
BY LOCAL DEP, STILL NOT RESTORED



ANNEXURE A-2 (COLLY.) SECTOR 77 ROAD, DUST FREE - 33
 POINT (1) 137
 DAMAGED BY PULVI IN
 AUG-SEP STILL DAMAGED
 TILL 2/12/25



16-Sept-2025 9:29:19 am
 179° S
 Plot 3b Antriksh Forest Road
 Sector 77
 Noida



16-Sept-2025 9:29:33 am
 349° N
 Plot 3b Antriksh Forest Road
 Sector 77
 Noida
 Meerut Division
 Uttar Pradesh
 Altitude: 153.0msnm
 Speed: 0.0km/h



01-Oct-2025 11:58:35 am
 174° S
 Sector 74 Main Road
 Sector 77



21-Dec-2025 2:19:35 pm
 168° S
 Sector 76



21-Dec-2025 2:19:10 pm
 177° S
 Sector 76
 Noida
 Meerut Division



21-Dec-2025 2:19:28 pm
 181° S
 Sector 76
 Noida
 Meerut Division
 Uttar Pradesh
 Altitude: 153.1msnm
 Speed: 0.0km/h

Sectel 01
Sectel 56-62
Sects of ROAD DAMAGED BY PUNYA

ANNEXURE A - 2 (Gally)

(34)

Sectel 56-62 JAL DEP

138



र जमा मिट्टी, शहर को दे रहे नसीहत



10:35 am

का बीई कार्यालय के कारगर मिट्टी का डेर, बहनी के आकारमान से उड़ रही धूल से बंद राव एवमुआद = जलदा

पट्टी को खोल गेह
राव है। बहनी के
ते हुए में जलदा
सकू रही है। इससे
सकृषि जलदा
एवमुआद 354
सकृषि का बहना ही
एवमु को बंद
ए चुके हैं, जलदा
सकृषि बंद है।
की जल सकृषि
अधिक - जलदा

चार बाहन सीज कार 213 का प्रदूषण न होने पर किया चालान
जमा, बंधक। प्रदूषण रोकने को नोडर ड मिली बंडर पर बीएस-2 और उससे
जोड़े की कारों के बहनी पर एक बंधक से कारें सब मुक्त की गईं हैं। रिकर को
बंडर पर खडखान पुलिस ने कार बहनी को सीज किया व 114 को बंधक भेजा।
41 बहनी का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर बंधक किया गया। पूरे जिले में
213 बहनी के प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर बंधक किया गया।

बंडर में जलदा-जलदा लगा
मिट्टी के डेर को खस
करने के लिए नोडर प्राधिकरण के
अधिकारियों से राव मिलकर बंद
सकृषि पर राव करना।
- सीज कार गिारी, जलदा
अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संकेटर 125 है। इसका एवमुआद 360 मिट्टी का डेर लगा है। वही, संकेटर
काएड सकृषण भंगे में है। संकेटर में 62 का एवमुआद 340, संकेटर 116
सकृषि का कार्य जारी है व रावक बंधक का 361, संकेटर 1 का 354 के सकृषण

रह जेन में है। इन संकेटरों में
निर्धारणों के लिए प्रदूषण हटा कर
देने के बजट बर्सेन बंध कर रही हैं।



Sectel 46 ↑
DAMAGED BY JAL DEP ON

Sectel 117-74
DAMAGED BY JAL DEP ON